संख्या-08/2026/1582/36-6-2026(2071709)

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
श्रम चिकित्सा सेवाएं उ0प्र0,
सर्वोदय नगर कानपुर।

श्रम अनुभाग-6 लखनऊ :: दिनांक10-09-2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: बी-13/अनुपूरक/2026/15174, दिनांक 19.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-76 के लेखाशीर्षक 4210 के अन्तर्गत 03 एलोपैथिक चिकित्सालय की 26-मशीन और सज्जा/उपकरण मद में रू0 65,97,000.00 (रुपया पैंसठ लाख सत्तानबे हजार) एवं 04 एलोपैथिक औषधालय की 26-मशीन और सज्जा/उपकरण मद में रू0 11,16,000.00 (रुपया ग्यारह लाख सोलह हजार) कुल धनराशि रूपये 77,13,000.00 (रुपये सतहत्तर लाख तेरह हजार) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल एवं फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो, उनसे व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(2) आवंटित धनराशि का व्यय मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों को ध्यान में रखकर किया जाए तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(3) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति न दी जाए। सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जाए तथा शेष धनराशि उचित कारणों सहित नियमानुसार समर्पित कर दी जाए।

(5) कृपया उक्त धनराशि का आवंटन क्षेत्रीय स्तर पर एक सप्ताह में करके कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।

(6) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-76 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य की इकाईयों की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जाएगा तथा इसके 7/8 भाग की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली से कराकर प्राप्ति लेखाशीर्षक 4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-101-कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्तियां-01-राज्य बीमा निगम से व्यय की पूर्ति हेतु प्राप्तियों में जमा किया जाएगा।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/2026/बी-2-164/दस-2026-244/2026, दिनांक 17.08.2026 द्वारा दिये गये निर्देशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। अतएव उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में वर्णित निर्देशों एवं व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 65,97,000.00 (रुपया पैंसठ लाख सत्तानबे हजार) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-76 के लेखाशीर्षक 4210011020301 एलोपैथिक चिकित्सालय मानक मद 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र (2) रू0 11,16,000.00 (रुपया ग्यारह लाख सोलह हजार) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-76 के लेखाशीर्षक 4210011020401 एलोपैथिक औषधालय मानक मद 26-मशीने और सज्जा/उपकरण व संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
विशेष सचिव।

संख्या-08/2026/1582(1)/36-6-2026 (2071709)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2-वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकर, लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

3-क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर।

4-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, क0रा0बी0 योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ0प्र0, कानपुर।

5-मख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं कानपुर।

6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग 1, 2 (तीन प्रतियों में)

8-श्रम अनुभाग-4

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव सूरत
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।